

नम्बर व
अहमदगंज
जुम की लान
में जासी हुए

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उनवान :

वादीगण

1. आदाराम 2. अगराराम 3. प्रहलादराम 4. भंवराराम 5. बाबूराम पिसरान किसनाराम
जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. किशनाराम पुत्र लीलाराम
2. पीराराम पुत्र लीलाराम
3. वालाराम पुत्र लीलाराम
जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत 88, 40, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :-12...../2020

निर्णय दिनांक :- 30.11.2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय लूणवा जागीर)

वादीगण की ओर से श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण व वादीगण स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.11.2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी ग्राम लूणवा जागीर के खेत खसरा नम्बर 637 रकबा 17-06 बीघा, मौजा लूणवा खुर्द के खेत खसरा संख्या 129 रकबा 19-09, मौजा भोलागर नगर के खेत खसरा संख्या 257, 280, 390, 391/1 रकबा कमशः 7-17, 16-07, 17-17, 0-05, ग्राम उकजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 69, 80 रकबा कमशः 22-18, 19-00 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 किशनाराम पुत्र लीलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
पंचायत समिति गुड़ामालानी
दिनांक : 5/12/21

क्रमांक: वाचक/2021/843

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(प्रमोद कुमार)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
पंचायत समिति गुड़ामालानी/2480